अनुदान संख्या 72 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 72- MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व :	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	3179,00,00	38457,00,00	38435,61,57	-21,38,43
पूरक	Supplementary	35278,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				21,38,03
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted -				
पूरक	Supplementary		101,53,00	101,53,14	+14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat –Economic Services				
मू.	O.	1740.00	1920.26	1919.88	-0.38
पु.	R.	180.26			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2802"	Major Head "2802"				
पेट्रोलियम	Petroleum				
मू.	O.	316160 .00			
पू.	S.	3527800.00	3841641.71	3841641.69	-0.02
पु.	R.	–2318.29			

(I) ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2802" - "सामान्य - तेल विपणन कंपनियों को आर्थिक सहायता - पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की पूर्ति के लिए तेल कंपनियों को सहायता" के अंतर्गत ₹18300.00 लाख के मूल प्रावधान को नवम्बर, 2010 में ₹27800.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹46100.00 लाख कर दिया गया था जो, तथापि, नवम्बर, 2010 में तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों को स्कीम में शामिल किए जाने की वजह से आर्थिक सहायता दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹1626.72 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2802" - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "तेल विपणन कंपनियों को आर्थिक सहायता - सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए खुदरा उत्पादों पर भाड़ा सहायता" - ₹267.40 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आकस्मिकता प्रावधान का उपयोग न किए जाने और घरेलू एलपीजी की बिक्री में कम वृद्धि होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड" - ₹750.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "2802" – "General – Subsidy to Oil Marketing Companies- Subsidy to Oil Companies for supply of Natural Gas to North Eastern Region" – the original provision of ₹18300.00 lakhs was augmented to ₹46100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹27800.00 lakhs in November, 2010 which, however, remained unutilised to the extent of ₹1626.72 lakhs – due to non-finalisation of subsidy claims owing to inclusion of Oil and Natural Gas Corporation in the scheme in November, 2010.

(III) Under Major Head "2802" -"General" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Subsidy to Oil Marketing Companies - Freight subsidy on retail products for far flung areas" – saving of ₹267.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-utilization of contingency provision and less growth in the sale of domestic LPG.

(B) "Other Expenditure - Petroleum Regulatory Board"- saving of ₹750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in receipt of proposal from the Board.

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई थीं:-

(I) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय" - ₹179.88 लाख का अधिक व्यय (₹1740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत के अधिक दावों की प्राप्ति, कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग, सहायक तथा वैयक्तिक सहायक के वेतन के उन्नयन और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम सचिवालय को देय सदस्यता अंशदान में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2802" - "सामान्य - तेल विपणन कंपनियों को आर्थिक सहायता - घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरोसीन पर आर्थिक सहायता" - ₹425.81 लाख का अधिक व्यय (₹290000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 2002 के बाद चालू होने वाले नए उच्च गुणता वाले केरोसीन तेल डिपो और एलपीजी बाटलिंग संयंत्रों को आर्थिक सहायता जारी किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, यद्यपि मार्च, 2011 में ₹10153.00 लाख का पूरक अनुदान लिया गया था, तथापि व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹0.14 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹14,000 था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगें स्वीकृत करवा कर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Petroleum and Natural Gas" – excess of ₹179.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1740.00 lakhs) was due to receipt of more leave travel concession claims, outsourcing of staff, upgradation of pay of Assistant, Personal Assistant and increase in membership contribution payable to International Energy Forum Secretariat.

(II) Major Head "2802" – "General – Subsidy to Oil Marketing Companies - Subsidy on domestic LPG and PDS Kerosene" – excess of ₹425.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹290000.00 lakhs) was due to release of subsidy for new Superior Kerosene Oil Depot and LPG bottling plants commissioned after 2002.

3. In the capital section of the grant, although supplementary grant of ₹10153.00 lakhs was obtained in March, 2011, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹0.14 lakh (actual excess was ₹14,000). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**